नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 88/2017

निर्णय दिनांक :–28.11.19

उनवानी दावा :

1. राजेन्द्र पुत्र रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
2. शिवराज पुत्र रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
3. महावीर पुत्र रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
4. रसाल देवी पुत्री रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
5. लादी बेवा रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र भैरू जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कालू पुत्र भैरू जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. फूला बेवा भैरू जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सुरेश पुत्र दुर्गा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. लाली बेवा दुर्गा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सुखलाल पुत्र माधो जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. रतनी पुत्री माधो जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली जिला टोंक राज0
9. प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा देवली जिला टोंक राज0
10. कल्याण पुत्र मांगीलाल जाति जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. भूरा पुत्र हीरा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. तहसीलदार जी (लेण्ड हॉल्डर) देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. रिक़ो विभाग देवली
14. कालूराम पुत्र रतना कोम माली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
श्री बंशी लाल कलवार
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 12

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 800 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 285 रकबा 0.17 है0 बारानी 3, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.16

2

है0 चाही, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है0 नहरी 2, खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.23 है0 चाही , खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.18 है0 चाही, खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.28 है0 बारानी 2, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.23 है0 चाही, खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.17 है0 चाही, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.06 नहरी 1, खसरा नम्बर 2073 रकबा 2377 रकबा 0.05 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 3794 रकबा 1. 18 है0 बारानी 1, खसरा नम्बर 4147 रकबा 1.17 है0 बारानी 2, कुल किता 15 कुल रकबा 6.01 है0 भूमि वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा है तथा खाता संख्या 935 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2319 रकबा 0.09 है0 नहरी 1, खसरा नम्बर 2320 रकबा 0.07 है0 नहरी 1, खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.14 है0 नहरी 1, खसरा नम्बर 2322 रकबा 0.07 है0 नहरी 1 कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलते समय वादी संख्या 1 राजेन्द्र के स्थान पर गलती से राजस्व रिकार्ड मे कालूराम अंकित हो गया, जबकि वादी संख्या 1 के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड तथा मा0शि0 बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका में भी राजेन्द्र अंकित है। देवलीगांव में खाता संख्या 800 में सम्वत् 2070 से 2073 मे कालूराम अंकित रखा है, इसलिए राजस्व रिकार्ड मे कालूराम के स्थान पर वादी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे तथा खाता संख्या 935 में भी कालूराम के स्थान पर वादी संख्या 1 राजेन्द्र का नाम अंकित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 7, 10 , 11, 13 सह काश्तकार होने के कारण तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के यहां प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बैंक मे रहन होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सख्या 12 तहसीलदार देवली ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रतना अपना नाम कालूराम पुत्र रतना के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 16.09.99, नामान्तकरण संख्या 3630 दिनांक 08. 06.16, नामान्तकरण संख्या 3761 दिनांक 02.06.17 की सक्षम न्यायालय में अपील कर व अपने नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रतना के साक्ष्य पेश कर प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 वादी राजेन्द्र पुत्र रतना माली निवासी देवलीगांव का पेश किया। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– हाल जमाबन्दी खाता संख्या 935 सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1, हाल जमाबन्दी खाता संख्या 800 सम्वत 2070–73 प्रदर्श–2 पेश की है। पत्रावली में साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादी क्लीन हैंड से न्यायालय में आया है। वादी का हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम कालूराम पुत्र रतना जिसको दुरुस्त करवाकर राजेन्द्र पुत्र रतना करवाना चाहता है जिसके लिए वादी ने सभी सरकारी दस्तावेज पेश किये है जिसमे वादी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र अंकित है। अतः न्यायालय से विनम्र अपील है कि वादी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है और राजेन्द्र पुत्र रतना नाम का अन्य कोई व्यक्ति देवलीगांव में नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2070–73 खाता संख्या 935, 800 जो कि प्रदर्श–1 व 2 है, वादी का नाम कालू/कालूराम पुत्र रतना अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने हेतु वादी ने आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक परीक्षा, वर्ष 1999 का प्रवेश पत्र, डाकघर की पासबुक व राशन कार्ड की छायाप्रति पेश की है जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र अंकित है। वादी के परिवार का राशन कार्ड जिसमें मुखिया लादी देवी पत्नी स्व. श्री रतन माली है जिसमें सदस्यो की संख्या में लादी देवी स्वयं,शिवराज पुत्र, नन्दू देवी पुत्र वधू, राजेन्द्र पुत्र के रूप में अंकित है। इन दस्तावेजो में कालू/कालूराम नाम को कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में कालू/कालूराम सहवन से अंकित हो गया। अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2070–73 खाता संख्या 935, 800 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली, में अंकित कालू/कालूराम को विलोपित कर कालू/कालूराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रतना कौम माली का नाम उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

1. राजेन्द्र पुत्र रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
2. शिवराज पुत्र रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
3. महावीर पुत्र रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
4. रसाल देवी पुत्री रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)
5. लादी बेवा रतना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र भैरू जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कालू पुत्र भैरू जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. फूला बेवा भैरू जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सुरेश पुत्र दुर्गा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. लाली बेवा दुर्गा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सुखलाल पुत्र माधो जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. रतनी पुत्री माधो जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली जिला टोंक राज0
9. प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा देवली जिला टोंक राज0
10. कल्याण पुत्र मांगीलाल जाति जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. भूरा पुत्र हीरा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. तहसीलदार जी (लेण्ड हॉल्डर) देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. रिको विभाग देवली
14. कालूराम पुत्र रतना कोम माली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादी–

<u>दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज</u>

मुकदमा नं. 88 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बंशी लाल कलवार अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 12 व एकपक्षीय कार्यवाही 1 ता 11 व 13 ता 14 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

2

राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2070–73 खाता संख्या 935, 800 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली, में अंकित कालू/कालूराम को विलोपित कर कालू/कालूराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रतना कौम माली का नाम उद्घोषित किया जाता है।

निजी.......................................मुवलिक.......................................बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 06 सन् 2019 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।